यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह कार्यालय क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड के माह 08/2018 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एसआर मीणा, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05.9.2020 से 15.9.2020 तक श्री पुष्कर, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षा द्वारा श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे दिनांक 27.8.2018 से 30.8.2018 तक संपादित की गयी जिसमे 03/2014 से 07/2018 तक के अभिलेखो की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2018 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच संपादित की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- सेवायोजन विभाग का उद्देश्य बेरोजगार अभ्यार्थियों को सेवायोजन के अवसर प्रदान करने मे सहायता करना व मानव संसाधन प्रबंधन की एक एजेंसी के रूप मे कार्य करना है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल मण्डल के देहरादून जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र है।

   (ii) (अ) लेखापरीक्षा अवधि का बजट आबंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष) (कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग)	आवंटन	व्यय	समर्पण/बचत
2017-18	2230,2515,2071	189.46	180.44	9.02
2018-19	2230,2515,2071	241.92	232.35	9.57
2019-20	2230,2515,2071	29.89	225.96	-196.07
2020-21 (8/20)	2230,2515,2071	21.13	101.91	-80.78

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटन	योग	व्यय	अंतिम अवशेष (बैंक में)
2017-18	NIL					
2018-19						
2019-20						
2020-21 (8/20)						

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार/केंद्र सरकार है। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

3 (i) विभाग का संगठनात्मक (उत्तराखंड शासन) ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव
2. अपर सचिव
3. निदेशक
4. उपनिदेशक
5. क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी
6. जिला/सहायक सेवायोजन अधिकारी
7. मुख्य/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
8. समूह ग एवं घ कर्मचारी
9. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः**- लेखापरीक्षा में **कार्यालय क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहारादून उत्तराखंड** के 8/2018 से 8/2020 की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहारादून, उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह 03/2019 & 12/2019 (Treasury head-BM 5) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय की धनराशि के आधार पर किया गया।

(ii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा- 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-02 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:01-</u> इकाई द्वारा 17- किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व मद मे की गयी अनियमितता एवं ₹ 4.47 लाख की भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष भवन स्वामी के बिलो से 10% TDS कटौती ₹ 44790.00 का न किया जाना ।

सम्प्रेक्षा द्वारा कार्यालय विशिष्ट सेवायोजन अधिकारी (जनजाति) कालसी देहरादून की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा भवन स्वामी श्री वीरेन्द्र दत्त मेहता से वर्ष -2011 (04/08/11) को कार्यालय संचालन हेतु किराये पर भवन आवंटित हेतु rent agreement किया था । जिसके तहत विभाग को कार्यालय ज़िला अधिकारी देहरादून के पत्र संख्या -1255 /बारह-100(2008-11) आर0ए0 दिनाक -28/05/2010 द्वारा किराया औचित्य प्रमाण पत्र ₹ 440 प्रति वर्ग फिट कारपेट एरिया निर्धारित किया गया था। इस प्रकार hire बिल्डिंग पर कुल 4400 वर्ग फुट *04=₹ 1760.00 -employment building **970 वर्ग फूट*04=3880.00-training building**

कुल-₹ 5640.00 का भुगतान प्रति माह विभाग द्वारा किराया का भुगतान किया जा रहा है। आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2011 से कुल-₹ 5640.00 का भुगतान प्रति माह भवन स्वामी को किराया प्रदान किया जा रहा है। परंतु विभाग द्वारा भवन स्वामी से वर्ष-2011 (04/08/11) को कार्यालय संचालन हेतु किराये पर भवन आवंटित हेतु rent agreement किया था। उक्त agreement विभाग द्वारा भवन स्वामी से मात्र 02 वर्षो के लिए किया गया था। उक्त agreement का reniuval(नवीनीकरण) भवन स्वामी की मृत्यु दिनाक-19/12/17 तक सम्प्रेक्षा जांच मे होना नहीं पाया गया। उक्त agreement का reniuval(नवीनीकरण) भवन स्वामी की मृत्यु दिनाक -19/12/17 के लगभग 01 वर्ष 03 महीने अर्थात दिनाक -22/03/19 को उक्त भवन के नये भवन स्वामी श्री नरेन्द्र दत्त मेहता से सम्पन्न किया गया। सरकार के rent act मे स्पष्ट प्रविधान किया गया कि पुराने agreement का renewal(नवीनीकरण) भवन स्वामी से पूर्व agreement की 02 वर्ष की समाप्ति पर दिनाक -05/08/13 को पुराने भवन स्वामी श्री वीरेन्द्र दत्त मेहता से किया जाना अपेक्षित था, परन्तु विभाग द्वारा नियमो की अवहेलना करते हुए बिना किसी नये agreement के भवन स्वामी की मृत्यु दिनाक-19/12/17 तक 04 वर्ष की अवधि तक बिल्डिंग को hire करते हुए कुल-₹ 5640.00 की धनराशि का प्रति माह किराया का भुगतान उपशुल्क मद संख्या-17 से किया जाता रहा है जो नियमो के प्रतिकूल था। आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि **provisions of section 7(1)d schedule-II of CGST ACT-2017, Any lease or letting out of the building including a commercial ,industrial or residential complex for business or commerce either wholly or partly is treated as supply and would attract 18% GST.** के नियमानुसार जब सम्प्रेक्षा द्वारा भवन स्वामी की rent से उत्तराखंड राज्य के अनुसार ₹ 10.00 लाख की income के बारे मे पूछा जो उनकी उक्त राज्य मे **provisions of section 7(1)d schedule-II of CGST ACT-2017,मे उनकी परिधि निर्धारित करता है तथा इस आशय**

का भवन स्वामी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र/नोटेरी से जारी शपथ पत्र सम्प्रेक्षा को भवन स्वामी से प्राप्त कर विभाग से सम्प्रेक्षा द्वारा मांगा गया तो विभाग ने उक्त शपथ पत्र को सम्प्रेक्षा को उपलब्ध कराने मे अपनी असमर्थता प्रकट की क्योकि उक्त भवन स्वामी की rent से कई विभागो को दी गयी बिल्डिंग के कारण ₹ 10.00 लाख प्रति वर्ष income होने की सम्भावना है । उक्त प्रकरण मे भवन स्वामी द्वारा कई विभागो से प्राप्त rent की income बिना disclose किए विभाग को त्रुटिपूर्ण **नोटेरी से जारी शपथ पत्र विभाग को प्रस्तुत किया परंतु विभाग द्वारा उक्त शपथ पत्र को मिथ्या मानते हुए भवन स्वामी को वापस कर दिया तथा मामले को जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान मे लाकर निमयमानुसार कारवाई की बात कही है । विभाग द्वारा** कुल-₹ 5640.00 की धनराशि का प्रति माह किराया का भुगतान के सापेक्ष GST 18% की कटोती करना सम्प्रेक्षा तिथि-09/20 तक नहीं पाया गया। उक्त प्रकरण मे भवन स्वामी ने कई विभागो से प्राप्त rent की income को छुपाया एवं मे **provisions of section 7(1)d schedule-II of CGST ACT-2017 के तहत जीएसटी न0 का भी** सम्प्रेक्षा तिथि-09/20 तक आवंटन नहीं कराया था। आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि **As per provisions of section 194I of income tax act- 1961, 10% TAX shall be deducted on Rent on building(commercial purposes) के तहत भवन स्वामी से उनके बिल के भुगतान के पक्ष मे 10% TDS ₹447900.00 का ₹ 44790.00 कटोती अनिवार्य थी ।**

परंतु rent मद मे सम्प्रेक्षा तिथि -09/20 तक मात्र वर्ष-2019-20 मे 4268+1584+880=₹ 6732.00 के टीडीएस की कटोती विभाग द्वारा भवन स्वामी से की गयी तथा शेष धनराशि ₹ 447900.00 पर विभाग द्वारा 17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व मद मे शून्य धनराशि पर टीडीएस की कटोती की गयी। उक्त शेष धनराशि का विवरण निमन्वत है:-

क्रम संख्या	**मद का नाम /लेखा शीर्षक**	**बिल संख्या**	**माह का विवरण**	**धनराशि(₹)**
01	17-किराया ,उपशुल्क और कर -स्वामित्व/4633	13 34	04/11 से10/11 &10/11 से 03/12	17460.00 23280.00
02	-do-	14 34	04/12 से 08/12&09/12 से01/2013	19400.00 19400.00
03	-do-	09 28 47	02/13 से 07/13 08/13 से11/13 12/13 से 03/14	23280.00 15520.00 15520.00
04	-do-	15 30	04/14 से 10/14 11/14 से 03/15	27160.00 19400.00
05	-do-	15 25	04/15 से 12/15 01/16 से02/16	34920.00 7760.00

06	-do-	09 23	03/16 से 09/16 10/16 से 04/17	27160.00 27160.00
07	-do-	13	05/17 से 10/17	23280.00
08	17-किराया ,उपशुल्क और कर -स्वामित्व/4635	19	06/11 से 08/11	4620.00
09	-do-	12 40	03/12 से 08/12 09/12 से 02/13	10560.00 10560.00
10	-do-	07 26 51	03/13 से 07/13 08/13 से 01/14 02/14	8800.00 10560.00 1760.00
11	-do-	43 16	03/14 से 10/14 11/14 से 03/15	14080.0 8800.00
12	-do-	34 47	04/15 से12/15 01/16 से03/16	15840.00 5280.00
13	-do-	- 38	04/16 से 09/16 10/16 से 03/17	10560.00 10560.00
14	-do-	18 38	04/17 से09/17 10/17 से 09/18	10560.00 24660.00
			योग	447900.00

संप्रेक्षा द्वारा 17-किराया, उपशुल्क और कर -स्वामित्व मद मे **बरती गयी अनियमितता एवं उदासीनता के** के बारे मे पूछने /इंगित करने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे लेखा परीक्षा को अवगत कराया कि **भविष्य मे भवन का भवन स्वामी से नियमानुसार** agreement का renewal(नवीनीकरण) कराया जायेगा तथा उक्त त्रुटि का **भविष्य मे पुनरावृति नहीं की जायेगी** एवं **नोटेरी से जारी शपथ पत्र विभाग को प्रस्तुत किया परंतु विभाग द्वारा उक्त शपथ पत्र को मिथ्या मानते हुए भवन स्वामी को वापस कर दिया तथा मामले को जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान मे लाकर निमयमानुसार कारवाई की बात कही है। एवं भविष्य मे भवन स्वामी से उनके बिल के भुगतान के पक्ष मे 10% TDS कटोती की जायेगी।** इकाई का उत्तर ही उक्त मद मे की गयी अनियमितताओ की पुष्टि करता है । प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है

<u>भाग-2 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:02-</u> संचालित शिक्षा एवं मार्ग दर्शन केन्द्र का उदेश्य प्रभावित पाया जाना तथा कैरियर परामर्श कार्य के संचालन में उदासीनता का प्रकरण पाया जाना।

(क) क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान कार्यालय के अधीन अवस्थित 'शिक्षा एवं मार्ग दर्शन केन्द्र' के गठन तथा उदेश्य के सम्बन्ध में जारी शासकीय दिशानिर्देश की जानकारी ली गयी जिसमें पाया गया कि समाज के निर्बल वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए औधोगिक एवं कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकी के प्रयोग के फलस्वरूप सृजित नवीन व्यवसायों के योग्य उनको बनाया जाए। राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों में कौशल में अभिवृद्धि करने के उदेश्य से जनपद में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से तृतीय श्रेणी की रिक्तियों के योग्य बनाने हेतु आशुलिपि, टंकण, सचिवीय पद्धति, भाषा सामान्य ज्ञान आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा साक्षात्कार की कला से भी अवगत कराया जाना है। प्रयोजन की पूर्ति हेतु शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र में स्वीकृत 05 पदों के सापेक्ष 04 पदों पर तैनाती रिक्त पायी गयी तथा 03 अनुदेशकों के सापेक्ष मात्र 01 अनुदेशक से शिक्षा केन्द्र का संचालन किया जा रहा था, परंतु अनुदेशकों की कमी के कारण दिशानिर्देश में इंगित कोर्स तथा तृतीय श्रेणी के योग्य प्रतियोगी परीक्षा के अनुरूप तैयार करने हेतु युवाओं को दिशानिर्देश के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान नहीं किए जा रहे थे तथा केन्द्र में नामांकन किए गए छात्रों तथा उत्तीर्ण छात्रों के आंकड़ों के रखरखाव इकाई में अनुपलब्ध पाये गये।

(ख) क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान विशिष्ट सेवायोजन अधिकारी कालसी के द्वारा निष्पादित किए कार्यों की जानकारी लेखापरीक्षा में ली गयी जिसमें पाया गया कि कालसी यूनिट का गठन चकराता परिक्षेत्र में रोजगार के इच्छुक अभियर्थियों को सेवायोजन के उचित अवसर प्रदान करने हेतु उनका पंजीयन करना तथा उन्हें कैरियर के सम्बन्ध में मार्गदर्शन देना तथा उनको रोजगार मेलों के माध्यम से उनको सेवायोजन के अवसर प्रदान करना। कैरियर परामर्श प्रोग्राम के अंतर्गत सभी सेवायोजन कार्यालयों के द्वारा उनके परिक्षेत्र में आने वाले स्कूल ,कालेजों के छात्र/छात्राओं को विभिन्न कैरियरों कि जानकारी देने स्वतः रोजगार के अवसरों कि जानकारी देने एवं विभिन्न प्रशिक्षण कोर्सेस कि जानकारी देने का कार्य स्वयं तथा विशेषज्ञों से वार्ताएं आयोजित कराकर सम्पन्न कराते हैं ताकि छात्र/छात्राएं अध्ययन कल मे ही अपने कैरियर का चुनाव कर सके तथा उन्हें कैरियर चयन सम्बन्धी पम्फलेट वितरित किए जाने का प्रावधान पाया गया। विशिष्ट सेवायोजन अधिकारी कालसी द्वारा प्रस्तुत कैरियर काउन्सलिन्ग अभिलेख में दर्ज आंकड़ों से तथ्य प्रकाश में आया कि अधिकांश काउन्सलिन्ग कार्य राजकीय संस्थानों में चलायें गये तथा प्राइवेट संस्थानों मे आयोजन की संख्या नगण्य थी। तथा अधिकांश कैरियर वार्ताएं कालसी तथा देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में ही की गयी जबकि कालसी यूनिट चकराता पर्वतीय क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए गठित थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर उपरोक्त (क) प्रकरण मे इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि केन्द्र में अनुदेशकों की कमी के कारण अपेक्षित कोर्सों का संचालन नहीं हो रहा है। (ख) प्रकरण मे इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि राजकीय संस्थानों के अतिरिक्त गैर संस्थानों में भी प्रावधान है परन्तु बजट अभाव के कारण इतने सुदूर क्षेत्रों का भ्रमण किया जाना गैर राजकीय संस्थाओं मे आयोजन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया, सेवायोजन विभाग का मूल उदेश्य कैरियर काउनसलिंग के माध्यम से युवाओं मे रोजगारपरक चेतना सृजित करना तथा शिक्षा एवं मार्ग दर्शन केन्द्र के माध्यम से युवाओं में कौशल वृद्धि कर उन्हें रोजगार के उपयुक्त बनाना है परन्तु प्रयोजन कि पूर्ति के लिए पर्याप्त मानवसंसाधन की कमी तथा सुदूर क्षेत्रों मे कैरियर काउन्सेलिंग का आयोजन नहीं कराया जाना शासकीय उदेश्य को प्रभावित करना पाया गया। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:01-</u> इकाई द्वारा ₹ 5.44 लाख की जनरेटर मद मे की गयी खरीद -फरोख्त मे पायी गयी अनियमितता एवं ₹ 8.96 लाख की भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष आपूर्तिकर्ताओ के बिलो से 2% TDS कटोती ₹ 17928.00 का न किया जाना ।

कार्यालय क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी देहरादून की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा ज़िला योजना के अंतर्गत मिली धनराशि के सापेक्ष वर्ष-2019-20 मे GEMKICASHHIMANSHOPVTLTD फ़र्म से 42-अन्य व्यय मद के अंतर्गत बिल no-97 दिनाक -18/12/19 द्वारा GENERATOR का क्रय किया गया। सम्प्रेक्षा द्वारा उक्त मद के अंतर्गत इकाई द्वारा online E-tendering की गयी एवं ₹ 543695.00 की धनराशि का 40 केवीए 3 DGAMFINSTALL Generator की खरीद -फरोख्त की गयी थी। जिसके अंतर्गत इकाई द्वारा 12 फ़र्म से BID document प्राप्त किये थे तथा GENERATOR की quality से संबन्धित document प्राप्त किये थे। आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा GEM Financial EVALUATION के अंतर्गत उक्त 12 फ़र्म से generator की configuration रिपोर्ट से संबन्धित प्रपत्र प्राप्त किये थे उसी को आधार मानकर 40 केवीए 3 DGAMFINSTAL Generator की खरीद -फरोख्त की गयी थी , परन्तु उत्तराखंड procurementrule-2017 एवं section -15 ofCGSTAct-2017 मे स्पष्ट है कि the value of supply of goods and services or both shall be the transaction value, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services both where the supplier and the recipient of the supply are not related and price is the sole consideration for the supply . उक्त प्रकरण मे आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि समस्त 12 firms ने अपने bid document इकाई को generator की configuration आधार पर प्रस्तुत किए थे , किसी भी फ़र्म ने अपने price का ब्योरा bid document मे इकाई को प्रस्तुत नहीं किया था। किसी भी फ़र्म ने equipment पर जीएसटी include थी या exclude थी के बारे मे भी bid document मे कोई ब्योरा का अंकन नहीं किया था। बिना मूल्य को आधार बनाये केवल इकाई द्वारा नामित Generator की खरीद -फरोख्त committee द्वारा configuration रिपोर्ट के आधार पर 12 मे से 11 firms को disqualified करते हुए CASHHIMANSHOPVTLIMITED के पक्ष मे supply order स्वीकृत/approved किया था। जो समान्य वित्तीय नियम -2017 के नियम -149(ii)एवं section -15 ofCGSTAct-2017 के नियमो का उल्लंघन था । उक्त प्रकरण मे जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा 12 firm का price + GST को आधार बनाकर contract किया गया था डीलरो से कोई comparative statement भी प्राप्त नहीं किये गये थे , जो विभाग की शिथिलता को दर्शता है। सम्प्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा जिन 11 firm को Generator की supply हेतु disqualified किया गया उसमे भी मूल्य को चयन का आधार न बनाकर quality/configuration रिपोर्ट को आधार बनाया गया था जो विभाग

द्वारा सरकार द्वारा वित्तीय मित्तव्ययिता (financial Economy) के सिद्धांत/नियमो की अनदेखी को दर्शाता है । जबकि समान्य वित्तीय नियम -2017 के नियम -149(iii) मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि Amount above RS 50000,00to 30,00000.00 through the GEM seller having lowest price among the available sellers, of at least three different manufactures , on GEM. परन्तु उक्ट प्रकरण मे विभाग द्वारा गठित committee द्वारा बिना मूल्य का आधार बनाकर quality/configuration रिपोर्ट को आधार बनाया गया था । जो उत्तराखंड procurementrule-2017 एवं section -15 ofCGSTAct-2017 का उल्लंघन था । आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष-2018-19 एवं 20 मे ज़िला योजना की प्राप्त धनराशि से र 8.96 लाख के generator,ए0सी0 ,लेपटोप एवम desktop कम्प्युटर की खरीद -फरोख्त की गयी थी परन्तु विभाग द्वारा **As per provisions of section 194 c of income tax act- 1961 2% TAX shall be deducted at source on the sum paid or credit for carrying out work, when the bill amount exceeds ₹ 30000.00 के तहत contractors/suppliers को उनके बिल के भुगतान के पक्ष मे ₹ 896395.00 पर 2% TDS कटोती ₹ 17928.00 अनिवार्य थी, जो उनके द्वारा करना नहीं पाया गया। बिलो का विवरण नीचे तालिका मे अंकित है :-**

क्र. स	**मद का नाम**	**बिल नंबर**	**इन्वाइस न0**	**दिनाक**	**फ़र्म का नाम/*Equipment न0***	**धनराशि(₹)**
01	**अन्य व्यय(42)**	97	1241	18/12/19	CASHHIMANSHO PVTLTD /GENERATOR	484070.00
02	**अन्य व्यय(42)**	97	0013	18/12/19	CASHHIMANSHO/ GENERATOR	59625.00
03	**46/कम्प्युटर हार्डवेयर**	131	22	22/03/20	M/SHyperINKsocie ties/ डेस्कटॉप computer	47900.00
04	**46/कम्प्युटर हार्डवेयर**	102	130	20/02/18	M/SHyperINKsocie ties/ डैल लैपटाप	68800.00

05	**अन्य व्यय(42)**	119	TPM/8470/	05/02/20	ThePrintMall/डेस्क टॉप computer	92100.00
06	**अन्य व्यय(42)**	139	TPM/8961	22/02/20	ThePrintMall/HPLAPTOP	85900.00
07	**अन्य व्यय(42)**	140	0229	24/02/20	HITACHISPLITAC	58000.00
					योग	896395.00

संप्रेक्षा द्वारा generator मद मे उक्त उपकरण की खरीद -फरोख्त के बारे मे पूछने/इंगित करने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे लेखा परीक्षा को अवगत कराया कि नियमो की जांच करके, त्रुटियो को सुधारते हुए एवं भविष्य मे उपकरणो की online खरीद करते समय quality के साथ -साथ उपकरण के मुल्य को भी प्राथमिकता दी जायेगी एवं भविष्य मे नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओ से 2% टी0डी0एस0 की कटोती की जायेगी। इकाई का उत्तर ही उक्त मद मे की गयी अनियमितताओ की पुष्टि करता है। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
SS/210/2013-14	**-**	1	**1**
SS/098/2018-19	**-**	1	**-**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या**			**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
	भाग-दो-अ	**भाग-दो-ब**	**STAN**			
SS/21/2013-14	**-**	1	**1**	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत
SS/098/2018-19	**-**	1	**-**	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत

इकाई के द्वारा उत्तर दिया गया कि विगत लेखापरीक्षा के जारी प्रस्तरों के निस्तारण हेतु अनुपालन आख्या तैयार करके उच्चाधिकारी के माध्यम से महालेखाकर कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
01	श्री अजय सिंह	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	08/2018 से 3.9.19
02	श्रीमती ममता चौहान नेगी	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	4.9.19 से 9.8.20
03	श्री अजय सिंह	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	10.6.20 से आतिथि तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून - पिन- 248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-I